APP-A
Crim-1

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

आ० ब्यौ० | रिमाण्ड
07.7.2019

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रूपसिंह पुत्र टीलासिंह जातिरावत नि. नरबदखेड़ा बनाम टीलासिंह पुत्र धीसर जातिरावत नि. नरबदखेड़ा तह. ब्यावर वगै.

किस्म मुकदमा तह. ब्यावर वगै. नम्बर 226/2019 सन 2019 (ब्यावर)
225 आर.टी.एक्ट

2019/00226

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी 2.7.19	श्री जमील जई श्री यह अपील श्री जमील जई एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 26.06.2019, प्रकरण संख्या 49/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत करते हुए सलंग्न दावा एक विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविधिक मानसिकता रखते हुए अपीलार्थी का विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बिना किसी गुणावगुण पर खारिज फरमाया गया। जो कि पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 20.06.2019 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी पारिवारिक है जिसे प्रत्यर्थी संख्या 01 को (जिसके नाम उक्त आराजियात राजस्व रिकार्ड में दर्ज है) को किसी भी तरीके से अन्यत्र, विक्रिय, बय, रहन, गिरवी आदि रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है चूॅकि वर्तमान अपीलार्थीगण अपने अन्य सहस्सिेदारों के साथ उक्त आराजीयात में हिस्सेदार है और इस सम्बन्ध में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट विधिक प्रावधान है कि पुश्तैनी आराजियात /जायदाद को अन्यत्र कहीं भी किसी भी तरीके से विक्रय आदि नहीं किया जा सकता। मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट विधिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अति आवश्यक प्रकरणों में जहॉ कि पक्षकारान के हित प्रभावी होते हो, वहॉ सूक्ष्म न्यायिक दृष्टि से अवलोकन कर तथ्यों को परखा जाकर न्यायोचित आदेश पारित किया जाना चाहिए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं परखकर भारी कानूनी भूल की है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.06.2019 की पालना स्थगित फरमायी जाकर विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथस्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावे या अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.06.2019 को निरस्त किया जाकर, विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावें कि प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देते हुए प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करे।	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

226/19/225 रूपसिंह बनाम शिवसिंह

तारीख पेशी	2019/00226 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री अपील पर्ई, ए०अपी० श्री	
लगातार	अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन विवादित आराजी पैतृक है जिसमें अपीलांटस का हक व हिस्सा निहित है। यदि विवादित आराजी का बेचान, हस्तातंण हो जाता है तो प्रथमदृष्टया अपीलांटस को अपूरणीय क्षति कारित होती है। अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अतिआवश्यक प्रकृति का होने से न्यायालय के समक्ष प्रथम बार प्रस्तुत होते ही उस पर युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना चाहिए। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010, उनवानी हुकुमसिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी. 2011(01) पेज 152 के न्यायिक दृष्टांत को मध्यनजर रखते हुए, हम न्यायालय व पक्षकारान के समय व आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए, अपील का इसी स्तर पर निर्णय करना उचित समझते हैं। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 पर दोनो पक्षो को जवाब व सुनवाई का अवसर देते हुए, स्पष्ट एवं विधि सम्मत निर्णय दो माह में पारित करे, तब तक दोनो पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अंकित विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करने हेतु रेस्पोडेन्टस पाबंद किया जाता हैं। अधी.न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा का आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावें। निर्णय की एक प्रति अधी.न्यायालय को प्रेषित की जावें। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। (हस्ताक्षर) 2/7/19 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	